

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018—फाल्गुन 4, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. ई-5-879-आयएएस-लीब-5-एक—。(1) श्री नंद कुमारम, आयएएस., उप सचिव, मुख्यमंत्री, तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव, विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माई एम. पी. प्रकोष्ठ को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन उपसचिव, मुख्यमंत्री, तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण तथा उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा उपसचिव, विमानन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माई एम. पी. प्रकोष्ठ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. ई-5-931-आयएएस-लीब-5-एक—。(1) श्री राजीव रंजन मीना भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. ई-5-1017-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुणाल मीना, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना को दिनांक 20 से 27 मार्च 2018 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुणाल मीना, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मुणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्र. ई-1-33-2018-5-एक.—डॉ. मधु खेरे, भाप्रसे (1997), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को केवल आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 6 से 9 फरवरी 2018 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018

क्र. ई-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती छबि भारद्वाज, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती छबि भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे विकास-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती छबि भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-906-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रविकांत जैन, आयएएस., अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 15 से 23 फरवरी 2018 तक नौ दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविकांत जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रविकांत जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविकांत जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-932-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 6 से 15 फरवरी 2018 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. कार्तिकेयन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. कार्तिकेयन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. कार्तिकेयन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी 2018 एवं दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-864-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विशेष गढ़पाले, भाप्रसे (2008), कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 फरवरी 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विशेष गढ़पाले की अवकाश अवधि में श्री फ्रेंक नोबल ए., भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फ्रेंक नोबल ए., कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तेजस्वी एस. नायक की अवकाश अवधि में श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बड़वानी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तेजस्वी एस. नायक द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. कार्तिकेयन, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-923-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती निधि निवेदिता, आयएएस., परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्वीनी परियोजना को दिनांक 21 फरवरी से 3 मार्च 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न परियोजना संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा परियोजना संचालक, तेजस्वीनी परियोजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता को अवकाश वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. ई-5-990-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 12 से 16 फरवरी 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजय कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री व्ही. एस. कोलसानी, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस. कोलसानी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-961-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 5 से 16 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17, 18 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. एफ ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-02-2017-यू.एस., II दिनांक 31 दिसम्बर 2017 द्वारा माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप की गई है।

माननीय न्यायाधिपति श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2018 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. ई-5-691-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए। अब उन्हें दिनांक 1 से 3 फरवरी 2018 तक तीन दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव “कार्मिक”

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय भोपाल को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2017 तक दो दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक,

विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्र. एफ 1 (बी)-159-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 8715-81-2016-चयन, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 15 (अनुक्रमांक 129420) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री मनीष भंवर, पुत्र श्री रायसिंह भंवर, निवासी मकान नं. एफ-85/थर्ड फ्लोर, लवकुश आवास विहार, सुखिलिया, इन्दौर मध्यप्रदेश के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्र. मेडि.बोर्ड-2017-14718, दिनांक 7 दिसम्बर 2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में Unfit due to less Height 167 c.m. अंकित होने के कारण इनकी दिनांक 24 जनवरी 2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई।

(2) समक्ष में सुनवाई के दौरान श्री मनीष भंवर द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर के संभागीय चिकित्सा मण्डल द्वारा इनकी ऊंचाई 167 से.मी. होने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु Unfit होने संबंधी तथ्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 (2)(क) में निर्धारित ऊंचाई 168 से.मी. या उससे अधिक (केवल पुरुष अध्यर्थियों के लिये) संबंधी प्रावधानों के विपरीत श्री मनीष भंवर की ऊंचाई 167 से. मी. अर्थात् निर्धारित मापदण्ड से कम होने एवं संभागीय चिकित्सा मण्डल, इन्दौर द्वारा इस आधार पर इनके स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में इन्हें Unfit लेख किये जाने के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची से इनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)93-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन एतदद्वारा श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, 2006, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल को परिवार

सहित धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 19 से 28 फरवरी 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. श्री अनुराग शर्मा .. | स्वयं |
| 2. डॉ. अनुभा एस. शर्मा .. | पत्नी |
| 3. कु. अवनि एस. शर्मा .. | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)94-1999-ब-2-दो-संशोधित.—राज्य शासन, द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना को परिवार सहित हैवलॉक आईसैण्ड व्हाया पोर्टब्लेयर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 23 जनवरी 2018 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. श्री उमेश जोगा .. | स्वयं |
| 2. श्रीमती अपर्णा जोगा .. | पत्नी |
| 3. राजेन्द्र जोगा .. | पुत्र |
| 4. जयन्तिका जोगा .. | पुत्री |

(2) आदेश की शेष कंडिकायें यथावत्.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)20-2006-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 15 से 21 फरवरी 2018 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश

एवं 14 फरवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल का चालू कार्य श्री आर. के. अरुसिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज शहडोल के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-747-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 15, 36, 38, 45 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	अलीराजपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर।	श्री. राकेश कुमार सिंह (जूनि.), द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर।
15.	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, भोपाल।	श्रीमती निहारिका सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल।
36.	गुना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री रूपम वेदी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना।
38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, ग्वालियर।	श्री राजेश कुमार देवलिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, ग्वालियर।
45.	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 5, इन्दौर।	श्री बी. के. पालोदा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5, इन्दौर।
104-ए	उज्जैन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	श्री संजय कुमार सिंह, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन।

F. No. 17(E) 83-2003-XXI-B(one)-747-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 1, 15, 36, 38, 45 and 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Name of the Judge of the Special Court (3)
"1.	Alirajpur	IIInd Additional Sessions Judge, Alirajpur.	Shri Rakesh Kumar Singh, (Jr.) IIInd Additional Sessions Judge, Alirajpur.
15.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 1, Bhopal.	Smt. Niharika Singh, Additional Sessions Judge, Special Court No. 1, Bhopal.
36.	Guna	IVTh Additional Sessions Judge, Guna.	Shri Rupam Vedi, IVth Additional Sessions Judge, Guna.
38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.	Shri Rajesh Kumar Devliya, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3, Gwalior.
45.	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 5, Indore.	Shri B. K. Paloda, Additional Sessions Judge, Special Court No. 5, Indore.
104-A	Ujjain	IIIInd Additional Sessions Judge, Ujjain.	Shri Sanjay Kumar Singh, IIIInd Additional Sessions Judge, Ujjain.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-747-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 36 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
"1.	अलीराजपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	गुना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.	सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
104-ए	उज्जैन	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत् क्षेत्र.”.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1)-747-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 1, 36 and 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
“1.	Alirajpur	IIInd Additional Sessions Judge, Alirajpur.	All electricity area of Alirajpur
36.	Guna	IVth Additional Sessions Judge, Guna.	All Electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 37).
104-A	Ujjain	IIIrd Additional Sessions Judge, Ujjain.	All electricity area of Civil District Ujjain”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-10-62-2016-तैतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश में संशोधनों को अधिसूचित करता है।

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी संशोधित निर्देश

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 की कंडिका क्रमांक 08 एवं कंडिका 14 में निम्नानुसार अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़ा गया है:—

1. निवेशक द्वारा Indian Register of Shipping (IRS) के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी के चयन/अनुमोदन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा।
2. लायसेंस मूलत: 10 वर्ष के लिए होगा। इस हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तथा Indian Register of Shipping (IRS)/ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जावेगा।

क्र. एफ-10-62-2016-तैतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के परिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश के अन्तर्गत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची अधिसूचित करता है।

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

मध्यप्रदेश जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-33, दिनांक 28 फरवरी 2017 में वर्णित लायसेंस हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार 3 नये जल क्षेत्र जोड़े गए हैं:—

1. धोलाबाड़ जलाशय का जल क्षेत्र रतलाम (जामड़ नदी एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)
2. तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र, ग्वालियर।
3. किशनपुरा जलाशय का जल क्षेत्र, बेटमा, इन्दौर।

पदमरेखा ढोले, अवर सचिव।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. 129-2367-2017-तईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

स. क्र.	अशासकीय सदस्य	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजीव कांकर	भिण्ड
2	श्रीमती कृष्णकांता तोमर	भिण्ड

क्र. 131-2680-2017-तेर्ईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4 में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

स. क्र.	अशासकीय सदस्य	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री बाबूलाल महाजन	खरगोन
2	श्री राजेन्द्र राठौर	खरगोन

क्र. 142-आर-2307-2017-तेर्ईस-यो.आ.सां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा-4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

स. क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री राधेश्याम पारिख	गुना
2	श्री के. एल. अग्रवाल	गुना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरी, अपर सचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2018

क्र. एफ-1-87-2009-1-उनसठ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2017 द्वारा श्री पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 40 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एस. एस. कुमार, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील मडावी, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्र. एफ-ए-6-34-2017-1-पांच.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (5) में किए गए अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में न्यायिक सदस्य के पद पर 65 वर्ष की आयु अथवा 05 वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है.

2. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक सदस्य का मुख्यालय, इन्दौर नियत किया जाता है।
3. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन कम करके ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में अंत में प्राप्त किये थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी 2018

नस्ती क्र.-एल.ए.-145-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 0010-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा.	नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-145-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 0010-अ-82-2017-18.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक 3621-कार्य-भू-अर्जन-2017 दिनांक 2-11-2017 प्रस्तुत कर नावली लघु सिंचाई योजना के तहत तालाब बनाने के कारण ग्राम सहेजला के कृषक श्री सतीश पटेल का खेत में आने जाने का शासकीय रास्ता दूब क्षेत्र में आने से आवागमन में कठिनाई हो रही है। उक्त के निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग की ओर से रास्ता बनाये जाने हेतु ग्राम सहेजला की 0.04 है। निजी भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही भूमि का अधिग्रहण शीघ्रता से किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाजात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	16	सहेजला	0.04	नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक सतीश पटेल को रास्ता उपलब्ध कराने हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्डौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2018

नस्ती क्र.-90-एल. ए.-2016-भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2016-17-शुद्धि-पत्र.—पलासी लघु सिंचाई तालाब के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम नावली तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0001-अ-82-16-17 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 3 नवम्बर 2017 को, दैनिक अर्वतिका में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को, दबंग दुनिया में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को एवं आम इश्तहार दिनांक 3 नवम्बर 2017 को हुआ है। तथा डी. एम. खण्डवा की वेबसाईट पर दिनांक 7 नवम्बर 2017 को अपलोडिंग हुआ है। उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)
68.31 है।	68.35 है।

उक्त प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकम 68.31 है। के स्थान पर 68.35 है। पढ़ा जावे।

खण्डवा, दिनांक 6 फरवरी 2018

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-17-18.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम पिपलिया भोजू प.ह.नं. 64 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 81.511 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधियों कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	64	पिपलिया भोजू	81.511	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	पिपलिया भोजू	81.511	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-102-एल.ए.-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम रोशनी प.ह.नं. 62 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 8.454 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	62	रोशनी	8.454	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-102-एल.ए.-2017-भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन					सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
खण्डवा	खालवा	रोशनी	8.454	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा।	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	बाराकुण्ड	195.708	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा।	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-17-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खालवा	भोजूढाना	99.744	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा।	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-2017-18.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम भोजूढाना प.ह.न. 65 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 99.744 हेक्टेयर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	65	भोजूढाना	99.744	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-2018-भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18.—कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम बाराकुण्ड प.ह.न. 64 तहसील खालवा की निजी कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 195.708 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खालवा	64	बाराकुण्ड	195.708	आवंलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसूद/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 जनवरी 2018

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17-पत्र क्र. 14-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	मैहर	जोवा	0.270	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना।	अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-16-17-पत्र क्र. 15-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) डाढ़ी	(4) 0.063	(5) कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) म. प्र. पावर ट्रांसफार्मर कंपनी लिमिटेड, सतना.	अतिरिक्त 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 15 जनवरी 2018

प्र. क्र. 28-अ-82-वर्ष 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वृत्तस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पवई	(3) सिमरा बहादुर	(4) निजी भूमि रकबा 2.163 है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं शासकीय भूमि संभाग, पवई. रकबा 0.00 है। कुल रकबा 2.163 है।		पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2018

प्र. क्र. 515-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल रक्का (हे.मे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.-कहानी।	मेहता ब. न. 621 प. ह. नं. 28	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला सिवनी।	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 516-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल रक्का (हे.मे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर रा.नि.म.-घंसौर।	तिनसरा ब. न. 301 प. ह. नं. 38	31.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला सिवनी।	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 517-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित (हे.मे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर	सरोरा	2.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी,	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु,
रा.नि.म.-कहानी	ब. न. 683				
	प. ह. नं. 27			जिला सिवनी.	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 518-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित (हे.मे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर	लिमतरा	28.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी,	सरोरा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु,
रा.नि.म.-कहानी.	ब. न. 668				
	प. ह. नं. 27			जिला सिवनी.	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 519-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित (हे.मे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील लखनादौन	मलखेड़ा ब. न. 549	36.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
	रा.नि.म.- लखनादौन.	प. ह. नं. 89			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. 494-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	मानपुर	महरोई	19.736	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन,	भदार व्यपवर्तन योजना.
	-,,-	बेल्टी	27.535	संभाग, उमरिया.	
	-,,-	पड़वार	2.095		
	-,,-	सलैया	1.447		
	-,,-	कुड़ी	15.208		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार व्यपवर्तन योजना दूब क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्र. 114-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बालाघाट	बालाघाट	भण्डारखोह	रक्का 0.271 हे.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.	भण्डारखोह लघु जलाशय योजना के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.	
		प.ह.नं. 17	एवं उपरोक्त			
		रा.नि.म.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित			
		बालाघाट.	भूमि पर आने वाली संपत्तियां.			
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है।					
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।					
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।					
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है।					
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	67/2	0.350
	69/3	0.410
डिण्डौरी, दिनांक 8 जनवरी 2018	69/4	0.370
क्र.-भू-अर्जन-47(अ-82)2015-2016-02.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
अनुसूची	78	1.460
(1) भूमि का वर्णन—	74/1	1.570
(क) जिला—डिण्डौरी	107	1.610
(ख) तहसील—डिण्डौरी	108	1.610
(ग) ग्राम—करोंदी रैयत प.ह.नं. 141 रा.नि.म. गोरखपुर	15/1	1.640
(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.310 हेक्टेयर.	96	0.280
खसरा	100	1.390
नम्बर	17	2.080
प्रस्तावित रकम	22	1.460
(हेक्टर में)	97	0.410
(1)	105	0.738
68/3	72	1.880
65	76	1.600
85	88	0.370
86	122	1.080
74/3	102	0.200
84	58/3	0.620
87	115/3	0.620
19/3	113/1	0.930
68/1	69/1	0.960
74/2	104/1	1.000
66	69/3	0.410
68/2	143	1.150
110/1	119/4	1.470
104/1	107	1.610
104/2	138	1.330
	133/1	1.990
	14	1.990
	24/2	2.000
	111/1	2.100
	70	0.800
	71	1.770
	142	3.500
	18	2.100

(1)	(2)	(ग) ग्राम—गनवाही माल रा.नि.म. शाहपुर प.ह.न.-21 (घ) लगभग क्षेत्रफल—57.84 हेक्टेयर.
94	1.220	खसरा
54/1	1.320	नम्बर
योग . .	<u>57.489</u>	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टर में)
शासकीय भूमि		(1) (2)
16	0.594	24 0.01
62	0.102	25 0.23
73	0.330	6 0.25
75	0.955	21/1 5.04
77	0.170	27/1 0.30
80	1.010	27/2 0.73
82/1	0.770	32/1 1.89
83	0.330	32/1/2 0.24
90	0.870	28 0.39
98	0.950	29 0.40
101	2.520	69/1 1.29
103	0.770	69/2 1.40
106	0.620	68/1 1.47
112/1	0.300	68/2 1.49
139	0.690	61/1 0.82
144	0.200	65 1.46
145	0.640	66 0.47
योग . .	<u>11.821</u>	64 0.94
कुल योग . .	<u>69.310</u>	311 0.40
		62 0.05
		63 0.49
		310/1 0.86
		310/2 0.87
		312 1.32
		313 0.09
		352 0.41
		359 0.20
		360 0.21
		361/1 0.07
		361/2 0.05
		361/3 0.03
		349 0.10
		367/2 0.10
		356 0.01
		353 0.18
		308 0.33

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 17 जनवरी 2018

क्र.-भू-अर्जन-05(अ-82)2017-18-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा

(1)	(2)	(1)	(2)
309	0.29	13	0.35
305	0.28	15	0.05
306/2	0.50	11/1	0.33
296	0.39	11/2	0.30
297	0.15	09	0.53
298	0.25	2/1	0.07
150/1	1.08	2/2	0.31
150/2	0.07	3	0.60
149	0.01	31	0.05
78/1	0.20	33	0.19
75	0.24	57	0.10
80	0.39	56	0.18
74/1	1.88	53	0.11
74/2	0.37	52/2	0.10
82	2.62	323	0.01
85	0.02	325	0.12
88	2.11	333/1	0.06
89	0.12	335/1	0.03
90	0.35	340	0.15
91	0.50	378/1	0.05
92	1.09	341	0.03
8/1	2.21	377	0.03
8/2	0.58	373	0.02
112	1.81	372	0.02
114	0.22	371/1	0.27
115	0.44	371/2	0.12
116	1.80	268	0.12
142	0.10	272	0.05
143	0.10	276	0.06
112/2	1.12	277	0.06
100	0.17	275	0.14
97	0.01	280	0.14
96/1	0.05	281	0.05
96/2	0.02	282	0.05
96/3	0.02	283	0.13
96/4	0.01	155	0.05
94/1/1	0.03	154	0.04
94/1/2	0.05	159	0.07
94/2	0.18	160	0.06
94/4	0.18	138	0.45
12	0.80	136	0.15

(1)	(2)	के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
122	0.30	
121	0.28	अनुसूची
110	0.15	(1) भूमि का वर्णन—
111/1	0.60	(क) जिला—डिण्डौरी
111/2	0.60	(ख) तहसील—शहपुरा
94/1/1	0.01	(ग) ग्राम—जाटा माल रा.नि.म. शाहपुर प.ह.न.-12
96/3	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.74 हेक्टेयर.
96/4	0.21	
योग . .	<u>55.36</u>	
		खसरा भू-अर्जन हेतु
		नम्बर प्रस्तावित रकम
		(हेक्टर में)
		(1) (2)
23	0.39	209 0.08
20	0.21	210 0.15
30/7	0.35	211 0.18
293	0.22	212 0.09
84	0.11	205 0.79
113	0.07	206 1.00
98	0.05	208/1 1.16
93	0.18	208/2 1.01
14	0.08	82 0.59
294	0.29	203 1.81
34	0.41	197 0.90
55	0.01	194 0.23
332	0.03	192 0.74
293	0.02	06 0.03
307	0.03	126 0.02
339	0.03	127 0.92
योग . .	<u>2.48</u>	128 0.09
सकल योग . .	<u>57.84</u>	132 0.05
		179 0.09
(2) मुड़की मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य की भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		169 1.08
		171 0.62
		243 0.37
		249 1.14
क्र.- भू-अर्जन-09(अ-82)2017-18-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19		242 0.24
		223 0.49
		225 1.30
		227 1.98
		186 0.02
		187 1.58
		185/1 0.45

(1)	(2)
185/2	0.12
188	0.93
184	0.20
181	0.18
180/1	2.05
180/2	0.25
176	0.49
173/1	2.01
योग . .	<u>25.430</u>
शासकीय भूमि	
204	0.11
193	0.15
07	0.10
08	0.06
11	0.32
84	0.02
85	0.02
76	0.15
131	0.10
166	0.12
167	0.20
237	0.06
168	0.03
245	0.10
170	0.24
244	0.05
172	0.02
240	0.12
224	0.11
183	0.23
योग . .	<u>2.310</u>
सकल योग . .	<u>27.74</u>

(2) मुड़की मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य की भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82)2016-17-32.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में

किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—शहपुरा माइनर 04 प.ह.न.-22 रा.नि.म. शहपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.68 हेक्टर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित रकमा (हेक्टर में)

(1)	(2)
256/1	0.02
256/2क	0.05
256/2ख	0.10
252	0.10
201/1	0.04
256/3	0.03
256/4	0.03
256/6	0.05
256/9	0.05
256/10	0.02
256/11	0.02
256/12	0.02
250/2क	0.14
250/2घ	0.14
250/2ख	0.04
200/1क	0.07
200/1ख	0.07
201/2क	0.04
201/2ख	0.04
201/2ग	0.04
201/2घ	0.04
201/2ड	0.04
201/2च	0.04
201/4क	0.04
201/4ख	0.04
201/6	0.04

(1)	(2)	(ग) ग्राम—शहपुरा सबमाइनर 03 प.ह.न.-22 रा.नि.म.
201/7	0.04	शहपुरा.
203/1	0.04	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.13 हेक्टेयर.
203/2	0.04	खसरा भू-अर्जन हेतु
203/3	0.06	नम्बर प्रस्तावित रकम
203/4	0.04	(हेक्टर में)
203/5	0.04	(1) (2)
203/6	0.04	433/1 0.05
185/1	0.07	433/2 0.05
185/2	0.07	57/1क 0.03
177	0.09	57/1ख 0.03
178/1	0.04	55/1, 57/2 0.03
178/2	0.02	55/8, 57/9 0.03
173/2	0.07	55/3, 57/3 0.03
151/1	0.40	55/4, 57/4 0.03
152	0.17	55/5, 57/5 0.04
160/2/1	0.01	64/1 0.01
160/2/2	0.01	64/2 0.01
147/2	0.06	63/3 0.01
योग . .	<u>2.66</u>	67 0.08

शासकीय भूमि

135	0.02	68/1 0.06
योग . .	<u>0.02</u>	68/8 0.06
कुल योग . .	<u>2.68</u>	68/2 0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः—बिलाऊव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82)2016-17-32.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्वासन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

54/1	0.04
68/7	0.06
68/9	0.06
80	0.20
81	0.10
75	0.19
76/1	0.04
76/2	0.06
55/6, 57/7	0.03
55/7, 57/8	0.03
54/3	0.04
72/2	0.16
27/1, 27/2, 27/3,	0.10
27/4, 27/5	
27/4	0.07
24/1	0.12
28/1	0.07
23/1	0.02
23/2	0.04

(1)	(2)
24/2	0.09
27/6	0.08
432/3क	0.03
432/3ख	0.02
432/3ग	0.02
432/5	0.07
70/1	0.07
70/9	0.02
70/3	0.02
70/4	0.02
7/11	0.02
70/4/1	0.02
70/5/क	0.02
70/8/क	0.02
70/5/ख	0.02
70/8/ख	0.02
70/6	0.02
70/2	0.02
70/7	0.02
70/10	0.02
72/1	0.16
69/1	0.05
योग . .	<u>2.95</u>

शासकीय भूमि

57/2, 55	0.03
59	0.02
65	0.03
29/1	0.02
22	0.08
योग . .	<u>0.18</u>
कुल योग . .	<u>3.13</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82)2016-17-32.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस

प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्वर्चवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—शहपुरा सबमाइनर 02 प.ह.न.-22 रा.नि.म. शहपुरा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.77 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित रकम
	(हेक्टर में)

(1)	(2)
440	0.08
448/1	0.05
448/2	0.16
442/1	0.10
442/2	0.06
444/1	0.06
444/2	0.07
444/3क	0.06
444/3ख	0.06
445	0.03
436/22	0.06
458/1	0.05
458/2	0.05
457/2	0.05
446/2, 455/2,	0.18
456, 457/1, 459	
452	0.03
436/3/1	0.04
436/3/2	0.04
436/3/3	0.04
436/3/4	0.04
436/3/5	0.04
436/2क, 436/11क	0.20
436/2ख, 436/11ख	0.08
454/2/1	0.02
454/3	0.03
454/4	0.02
454/5ख	0.03
455/1ख	0.02

454/2/1	0.02
454/3	0.03
454/4	0.02
454/5ख	0.03
455/1ख	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
455/1ग	0.02	680/3	0.01
455/1घ	0.02	680/4	0.01
453/1	0.04	685/1/क	0.04
453/2	0.04	685/1/ख	0.07
711/1	0.10	685/1/ग	0.07
711/2	0.03	615/8	0.02
710	0.07	685/2	0.02
724/1	0.10	686/1	0.05
724/3, 724/4, 724/5	0.23	686/2	0.02
723	0.11	686/3	0.02
708/1	0.07	689/1	0.01
438/1	0.03	689/2	0.01
724/1	0.10	690/1	0.09
योग . .	<u>2.71</u>	690/2	0.09
शासकीय भूमि		817/2	0.01
457/1	0.04	691	0.04
759	0.02	694/1	0.03
योग . .	<u>0.06</u>	694/15	0.03
कुल योग . .	<u>2.77</u>	694/2	0.07
		694/5	0.03
		694/6	0.03
		694/7	0.03
		694/9	0.03
		694/8	0.03
		694/10	0.03
		694/11	0.03
		694/13	0.03
		694/14	0.03
		695/2	0.08
		693	0.02
		826/1/क	0.01
		826/1/ख	0.01
		826/1/ग	0.01
		695/1	0.16
		696/1	0.16
		764	0.18
		817/1	0.01
		817/3	0.01
		632/1/क	0.01
		632/1/ख	0.01
		632/4/ख	0.04
		697/2	0.04
		697/3	0.04
		697/5	0.04
		697/6	0.04
		697/7	0.04
		698/1, 698/4, 698/7	0.04
		698/2, 698/7	0.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलैकटर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-38(अ-82)2016-17-32.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सरकी आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—डिण्डौरी
 - (ख) तहसील—शहपुरा
 - (ग) ग्राम—शहपुरा सबमाइनर 01, प.ह.न.-22 रा.नि.म.
शहपुरा
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.85 हेक्टेयरं।

खसरा	भू-अर्जन हेतु	(1)	(2)	(1)	(2)
नम्बर	प्रस्तावित रकमा				
	(हेक्टर में)				
				698/1, 698/4, 698/7	0.04
				698/2, 698/7	0.04
680/1	0.01				
680/2	0.01				

(1)	(2)
698/3, 698/5, 698/8	0.04
699	0.16
794/2	0.02
794/3	0.04
700	0.05
793	0.10
792/1	0.03
792/2	0.03
763/1	0.06
763/2/क	0.02
763/2/ख	0.02
765	0.14
697/1	0.04
697/4	0.04
769/1/ब	0.12
769/2	0.24
770	0.01
768	0.02
747/2	0.06
748	0.10
749/2	0.19
752/1	0.01
752/2, 751	0.01
752/3	0.01
752/4	0.01
योग . .	<u>3.56</u>

शासकीय भूमि

694/3	0.01
694/4	0.01
816	0.02
633	0.03
744	0.02
706	0.03
789	0.17
योग . .	<u>0.29</u>
कुल योग . .	<u>3.85</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 फरवरी 2018

प्र. क्र. 1249-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्विवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—गंधवानी
- (ग) ग्राम—रेहड़दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—122.983 हेक्टर।

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित
रक्बा (हेक्टर में)

(1) (2)

256/1 0.256

25/5 0.384

25/12 0.100

25/22 0.050

25/3 0.284

25/11 0.100

25/14 0.050

25/17 0.050

228/1 0.300

232/2/3, 332/5/3 0.309

237/1 0.050

229/2 0.476

235/2/2 0.232

223/1/2/3/1/1 0.820

223/1/2/3/1/2 0.088

223/1/2/3/1/3 0.239

200/2 0.763

25/6 0.384

25/13 0.050

25/18 0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
225/1	0.753	230/1/3/2	0.179
193/1	0.418	278/4/4	0.098
232/4	0.523	85/2/1	0.111
232/7/1	0.230	50/1/2	0.152
60/3	0.363	194/2/1	0.018
50/1/3	0.151	230/1/1/3/3	0.145
194/2/4	0.018	278/2/2	0.260
25/4	0.400	22/2/2	0.100
25/8	0.184	246/1	0.321
232/2/1, 232/5/1	0.310	243/2	0.502
235/2/3	0.232	2/3	0.171
237/3	0.053	98/2	0.520
301	1.599	85/2/3	0.200
232/1	0.440	258/1/2	0.200
232/7/2	0.313	258/2	0.500
25/2	0.384	297/2	0.143
25/9	0.100	98/3	0.305
25/21	0.050	98/4	0.515
218/1/1	0.088	248	0.878
223/1/2/3/2	0.419	230/2	0.083
218/2	0.230	245/2/1	0.269
25/7	0.283	278/5	0.391
25/10	0.100	108/1	0.196
25/16	0.050	255	0.105
25/20	0.050	264	0.366
2/2	0.723	239/1	0.450
25/1	0.404	259/1	0.330
25/15	0.050	191	0.288
50/1/5	0.151	195	0.449
230/1/1/3/2	0.145	25/19	0.050
194/2/3	0.017	41/2	0.944
22/3	0.470	43/3	0.348
46/2	0.648	47/2	0.393
48/1	0.289	81/1/2	0.056
60/2	0.362	278/1/1	0.130
53/1/2	0.034	232/3/2	0.195
55/2/2	0.168	232/6/2	0.445
194/4/3	0.018	232/8/2	0.524
197/4/3	0.065		

(1)	(2)	(1)	(2)
234/2	0.225	194/4/1	0.018
235/1/2	0.349	197/4/1	0.065
242/2	0.350	230/1/3/3	0.179
50/2	0.758	278/4/3	0.097
81/2	0.225	82/1	0.500
194/5	0.071	82/2/1	0.250
197/5	0.262	85/2/2	0.111
245/2/2	0.269	202	0.219
292	1.463	251	0.052
295/2	2.537	252	0.042
193/3	0.418	254	0.491
212/1	1.240	287/1	0.500
304/1	0.547	246/3	0.321
240/2, 241/2	0.215	223/1/1	0.105
259/3/1	0.329	223/1/2/1	0.623
261	0.951	223/1/2/2	0.225
64	0.500	223/2	0.355
215	3.260	239/2	0.450
81/1/1	0.056	259/2, 129/1	0.329
194/1	0.071	82/2/2	0.250
197/1	0.261	82/3	0.500
245/1	0.538	200/3	0.763
281	1.000	229/1	0.475
90	1.700	253/1	0.141
220	2.686	253/2	0.141
222	2.080	258/3	0.709
193/2	0.418	53/1/1	0.034
212/2	1.241	55/2/1	0.168
304/3	0.547	194/4/4	0.018
207	0.408	197/4/4	0.065
209	0.533	230/1/3/1	0.178
200/1/1	0.763	278/4/1	0.098
22/2/1	0.837	250	0.800
22/1	0.470	258/1/1	0.200
212/3	1.240	243/1	0.141
304/2	0.547	53/2	0.136
53/1/3	0.034	53/1/4	0.034
55/2/3	0.169	55/2/4	0.169

(1)	(2)	(1)	(2)
213	3.125	48/3	0.937
249/2	0.180	60/1	0.362
293	2.957	50/1/1	0.152
298	0.836	50/1/4	0.151
108/2	0.196	194/2/2	0.018
108/5	0.346	230/1/1/3/1	0.144
41/1	0.945	194/4/2	0.017
43/1	0.348	197/4/2	0.066
47/3	0.395	230/1/3/4	0.178
81/1/4	0.056	278/4/2	0.098
278/1/3	0.130	230/1/1/1	0.140
41/3	0.944	228/2	0.599
43/2	0.349	232/2/2, 232/5/2	0.309
47/1	0.393	235/2/1	0.232
81/1/3	0.056	237/2	0.050
278/1/2	0.130	214	6.888
276	1.797	249/1	0.500
296/2	0.271	297/1	0.150
3	0.387	306	0.573
6	0.178	55/1	0.674
13/2	0.993	188	0.617
17	1.735	194/3	0.071
20	2.299	197/3	0.261
72/1	0.607	230/1/2	0.714
247/2	0.226	278/3	0.391
296/1/1	0.090	232/7/4	0.060
85/3/1	0.700	235/3	0.696
85/3/2	0.237	246/2	0.321
218/1/2/1	0.261	46/1	0.648
18/1/2/6	0.660	48/2	0.289
218/1/2/2	0.255	278/2/1	0.131
218/1/2/4	0.500	59	3.251
218/1/2/7	0.400	62	0.515
218/1/2/3	0.255	189	1.212
218/1/2/5	0.400	82/1	0.500
218/1/2/8	0.420	82/2/1	0.250
92/1	0.950	93	2.000
92/3	0.927	200/1/2	0.762
29	0.120		

(1)	(2)
225/2	0.313
232/7/3	0.440
230/1/1/2	0.140
232/3/1	0.195
232/6/1	0.444
232/8/1	0.525
234/1	0.224
235/1/1	0.349
242/1	0.350
240/1, 241/1	0.236
259/3/2	0.329
309/1	0.400
283	0.387
287/2	0.500
योग . .	<u>122.983</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—“बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 1251-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—धार
 - (ख) तहसील—गंधवानी
 - (ग) ग्राम—मुजाल्दा
 - (घ) क्षेत्रफल—0.334 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा
(1)	(2)
189/1	0.167
189/2	0.167
योग . .	<u>0.334 हेक्टर</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 1253-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—धार
 - (ख) तहसील—गंधवानी
 - (ग) ग्राम—खोजाकुआ
 - (घ) क्षेत्रफल—83.255 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा
(1)	(2)
9/1	0.175
9/4	0.290
10/5	0.050
37/2	0.260
42/2	0.434
43/1/3	0.128
259/2/1	0.240
7/1/1/1	0.466
260/3	0.237
7/1/2/1	0.306
9/8	0.210
257/2/2	0.700
260/2	0.100
7/2	0.679
8	1.400
36	0.899

(1)	(2)	(1)	(2)
12/2	0.418	298/1	0.188
39	0.188	305	0.105
40/2/1	0.065	63/2, 64/1/2	0.018
252	0.355	298/2	0.188
253	0.136	9/2	0.175
255	0.523	9/5	0.290
256	0.867	10.4	0.100
257/1	2.790	42/4	0.140
258	0.219	42/5	0.075
259/3	0.314	43/1/2	0.129
300	0.742	43/2/1	0.157
303/1	0.084	257/1/1	0.314
43/5/1	0.500	259/1/1	0.314
43/6/1	0.102	259/2/2	0.314
66/2	0.010	9/3	0.125
43/6/2	0.101	9/6	0.290
310/2	0.308	10/1/1	0.050
43/6/3	0.101	10/1/3	0.070
310/3	0.306	10/3	0.443
44/1	0.080	42/1	0.240
44/2	0.080	9/7	0.775
44/3	0.036	10/2	0.475
44/4	0.036	42/3	0.240
44/5	0.036	43/1/1	0.225
44/6	0.036	257/2/1	0.188
44/7	0.036	260/1	0.300
59/1	0.105	11/1	0.700
59/3	0.052	11/2	0.300
61/1	0.418	12/3	0.866
61/2	0.836	40/2/6/1, 41/6/1	0.196
65	0.449	47/2	0.150
63/1	0.018	20	1.014
64/1		21/1	0.110

(1)	(2)	(1)	(2)
22/2	0.031	247/3	0.559
23/2	0.523	268/3	1.097
25/2	0.109	269/3	0.053
33/2/1	0.095	270/2	0.241
33/3/1	0.094	270/3/1	0.400
35/1/1	0.055	275/2	0.157
59/2/2	0.041	248/1/2/1	0.500
60/2	0.042	296/2/1/2	0.204
21/2/1	0.027	303/2/1/2	0.056
22/1/1	0.011	248/1/2/2	0.531
23/1/1	0.050	249/2	0.615
23/1/9	0.066	263	0.878
24	0.031	264	3.187
25/1/3	0.034	265/1	1.160
33/1/2/1	0.024	267/1	0.314
33/4/2/1	0.024	268/2	0.439
35/2/3/1	0.014	268/4	0.773
59/2/1/3	0.011	274	1.035
60/1	0.042	286/2	0.641
21/2/2	0.028	265/2/2	0.300
22/1/2	0.010	265/2/4	0.295
63/3, 64/3/3	0.018	267/2/2	0.209
298/3	0.188	267/2/4	0.344
63/4, 64/4/4	0.019	267/2/6	0.345
72	0.150	268/1/2	0.130
236	0.600	265/2/1	0.300
237	0.094	265/2/3	0.296
307	0.669	267/2/1	0.209
247/1	0.559	267/2/3	0.345
269/1	0.052	267/2/5	0.345
271/1	0.909	268/1/1	0.131
290/1	0.523	270/3/2	0.209
247/2	0.105	271/2	0.209

(1)	(2)	(1)	(2)
276	0.199	26/3	0.073
278	0.418	12/1	0.563
288/1/6	0.466	40/2/2/2/1, 41/2/1	0.183
288/2/1	0.050	43/4	0.063
288/4	0.334	250/2	0.727
23/1/4	0.050	27/1	0.230
23/1/7	0.065	249/1/4	0.171
33/1/1/1	0.023	27/2	0.230
33/4/3/1	0.024	31/3	0.037
35/2/1/1	0.013	249/1/3	0.171
59/2/1/4	0.043	27/3	0.230
21/2/3	0.027	31/1	0.037
23/1/2	0.050	249/1/1	0.171
23/1/6	0.050	27/4	0.230
23/1/10	0.051	31/2	0.047
25/1/2	0.033	31/4	0.037
35/2/2/1	0.014	249/1/5	0.171
33/1/4/1	0.024	40/2/2/1/1, 41/1/1	0.182
33/4/1/1	0.024	12/6	0.657
59/2/1/2	0.044	40/2/3/1, 41/3/1	0.233
21/2/4	0.027	250/1	0.726
22/1/3	0.011	354/9	0.439
23/1/3	0.050	279	0.146
23/1/5	0.050	288/1/2	0.047
23/1/8	0.040	288/1/3	0.303
25/1/1	0.033	288/1/5	0.500
35/2/4/1	0.014	354/5	0.178
33/1/3	0.024	354/8/2	0.428
33/4/4/1	0.024	281	0.188
59/2/1/1	0.043	284/2	0.187
26/2	0.073	285	0.376
27/5	0.230	288/1/4	0.400
31/5	0.030	288/2/2	0.050
249/1/2	0.174	288/2/4	0.300

(1)	(2)	(1)	(2)
354/6	0.251	309/1	0.052
354/8/1	0.428	310/1	0.306
282	1.285	354/2	1.777
290/2	1.191	354/3	0.073
291	0.408	12/4	0.707
345	0.500	40/2/4/1, 41/4/1	0.190
352/2	0.125	47/1	0.150
283	1.453	12/5/2	0.200
284/1	0.200	40/2/5/1/1, 41/5/1/1	0.190
288/1/7	0.500	47/3/2	0.076
288/1/8	0.300	12/5/3	0.200
288/2/3	0.050	40/2/5/2/1, 41/5/2/1	0.190
292	0.105	47/3/1	0.076
354/8/3	0.429	43/2/2	0.250
286/1	0.320	43/3	0.052
287	0.084	354/4	1.348
288/1/1	0.984	354/7	0.564
290/3	0.993	302/1/1	0.026
293/2	0.094	302/1/2	0.026
296/1	1.105	302/1/5	0.026
296/2/1/1	0.349	302/1/6	0.027
303/2/1	0.074	37/1	0.200
296/2/2	0.552	248/1/1	0.923
303/2/2	0.131	12/5/1	0.257
297	0.637	योग . .	<u>83.255</u>
298/4	0.188	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—“बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु,	
299/1/1	0.710	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	
299/1/2	0.335		
299/2/1	0.377		
299/2/2	0.710		
302/2	0.711		
304	0.230	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
308/2	0.084	श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018

क्रमांक—एफ—25—24 / 2017 / 10—3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 23°3'10.864" से N 23°3'49.289" उत्तर अक्षांश तथा E 74°58'1.368" से E 74°58'48.274" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :— झाबुआ					तेहसील :— पेटलावद	
वन मण्डल :— झाबुआ (सा.)					वन परिक्षेत्र :— पेटलावद	
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	चवरिया	चवरिया	नाकाबिल काश्त	27/5 107/1	59.620 15.090	उत्तर :— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 26 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	74.710	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक (1) No F.No. 6-MPC090/2005-BHO/505 दिनांक 22-03-2006 (2) No F.No. 6-MPC047/2005-BHO/271 दिनांक 14-02-2006 (3) No F.No.6-MPC004/2008-BHO/1836 दिनांक 28-7-2008 (4) 6-MPB142/2007-BHO/4434 दिनांक 05-12-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार (1) कन्स्ट्रक्शन आफ मेन कैनाल अपरबेदा टैक कार्यपालन यंत्री की स्वीकृत परियोजना नर्मदा विकास संभाग क्र 19 भीकनगांव (2) 220 के.ही. विद्युत लाईन मेहश्वर औंकारेश्वर परियोजना की स्वीकृत परियोजना अति मुख्य अभियंता (अति उच्चदाव निर्माण संधारण) मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी चांदबड भोपाल (3) 132 के.ही. नेपा-बडगांव विद्युत लाईन की स्वीकृत परियोजना कार्यपालन यंत्री म.प्र. पावर ट्रांसमीशन क.लि. बडवाह (4) 5. खनि आंबा टैक की स्वीकृत परियोजना 1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार में प्रभावित (1) 36.722, (2) 3.289 (3) 4.120 (4) 0.313 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 74.710 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 74.710 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 2334/रीडर-1/98 दिनांक 18.11.1998 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2 अन्य कारणों का विवरण :— निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक – 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

- 1 व्यक्तिगत अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- 2 सामुदायिक अधिकार :— उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2018

एफ-25-24-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-24-2017-दस-3, दिनांक 12 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 12th February 2018

No-F-25-24/2017/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23°3'10.864" to N 23°3'49.289" North Latitude and E 74°58'1.368" to E 74°58'48.274" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Jhabua						Tahsil :- Petlawad
Forest Division ;- Jhabua						Forest Range :- Petlawad
S.No.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Chawariya	Chawariya	NA.KABIL KASHT	27 / 5 107 / 1	59.620 15.090	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 12 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 26 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 47 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 47 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	74.710	

(A) Reason for Publication of Notification :-

In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order (1) No F.No. 6-MPC090/2005-BHO/505 dated 22-03-2006 (2) No F.No. 6-MPC047/2005-BHO/271 dated 14-02-2006 (3) No F.No.6-MPC004/2008-BHO/1836 date 28-7-2008 (4) 6-MPB142/2007-BHO/4434 dated 05-12-2007 and in lieu of (1) 36.722, (2) 3.289 (3) 4.120 (4) 0.313 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of (1) Construction of Men Canal Oankareshwar uprweda tank Executive Engineer of Narmada Vikash Sambhag No. 19 Bhikan bhikangaon (2) 220 K.Whe. Vidhut Line Maheshwer Onkareshwer Project of ATI Chief Engineer (A.U.DA.NI./S) M.P. Power Transmissn Compani Chandbad Bhopal M.P. Power Transmissn Compani Chandbad Bhopal (3) 132 K.Whe. Nepa-Badganwa Vidhut Line of of Executive Engineer MP Power Transmissn Private limited Badwah (4) 5. Khani Amba Tank of 1. Executive Engineer Water Resources Department sambhag No 1 Dhar the above mentioned Non Forest land of 74.710 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 2334/Rider-1/98 Dated 18.11.1998 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Resonas - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

- 1 Individual Rights - There are no individual rights on the Side Land.
- 2 Community Rights - There are no communities rights on the Side Land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPTION ANIL KUMAR KHARE, Secy.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रक्रोष्ट)

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017 – सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9¹ दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम (१)
1.	श्री अशुतोष	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
2.	सुश्री दीपिका पाव	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, २ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री करुणा डण्डौतिया	नायब तहसीलदार
2.	सुश्री लक्ष्मी वर्मा	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
3.	श्री ललित कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, ३ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9¹ दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम (३)
1.	श्री अजेन्द्र नाथ प्रजापति	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017 - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री अनिमेष गढपाल	सहायक अधीक्षक भू अभिलेख
2.	सुश्री रूपेश्वरी कुंजाम	नायब तहसीलदार

क्र. 955 /नोअविप/विपप्र/2017 - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9' दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री अवधेश यादव	नायब तहसीलदार

क्र. 955 /नोअविप/विपप्र/2017 - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9' दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री आंचल अग्रहरि	नायब तहसीलदार
2.	सुश्री ममता मिमरोट	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविषय/विपप्र/2017 – सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री गणेश कुमार देशभूतार	नायब तहसीलदार
2.	श्री दिनेश ऊँके	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविषय/विपप्र/2017. – सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री ललिता गडरिया	नायब तहसीलदार

क्र. 955 /नोअविषय/विपप्र/2017. – सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री सुनील कुमार राणा	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री आलोक श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
2.	श्री गणपति सिंह डावर	नायब तहसीलदार
3.	श्री जगदीश रणधा	नायब तहसीलदार
4.	श्री देवीप्रसाद चक्रवर्ती	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
5.	श्री नारायण सिंह रघुवंशी	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
6.	श्री नीरज कालमेघ	नायब तहसीलदार
7.	सुश्री प्रजा गीते	नायब तहसीलदार
8.	श्री मनीष जैन	नायब तहसीलदार
9.	श्री मनीष पाण्डेय	नायब तहसीलदार
10.	श्री महेन्द्र चौहान	नायब तहसीलदार
11.	सुश्री रंजना यादव	नायब तहसीलदार
12.	सुश्री रुचि अग्रवाल	नायब तहसीलदार
13.	श्री विराट अवस्थी	नायब तहसीलदार
14.	सुश्री संगीता गोलिया	नायब तहसीलदार
15.	श्री सिद्धार्थ भूषण	नायब तहसीलदार
16.	श्री सतेन्द्र सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
17.	श्री सौरभ शर्मा	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री आफिसर सिंह	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
2.	सुश्री कीर्ति डेहरिया	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख
3.	सुश्री प्रिती रानी चौरसिया	नायब तहसीलदार
4.	सुश्री प्रीति पंथी	नायब तहसीलदार
5.	श्री कृष्ण ठाकुर	नायब तहसीलदार

6.	सुश्री कल्पना शर्मा	नायब तहसीलदार
7.	श्री जितेन्द्र अलावा	नायब तहसीलदार
8.	श्री प्रताप सिंह अजनार	नायब तहसीलदार
9.	श्री बलवीर सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार
10.	सुश्री रितु साल्वे	नायब तहसीलदार
11.	श्री श्यामू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार

क्र. 955/नोअविषय/विषय/2017. — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 17 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 6. लेखा एवं वित्त 7. म. प्र. स्थानीय शासन 8. प्रकरण अध्ययन – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	
1.	श्री आनंद सिंह राजावत	उप जिलाध्यक्ष	
2.	श्री ओमनारायण सिंह बड़कुल	उप जिलाध्यक्ष	विधि पत्रोपाधि के कारण नियमानुसार दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया – प्रथम प्रश्न पत्र में छूट
3.	सुश्री नदीमा शीरी	उप जिलाध्यक्ष	
4.	सुश्री निधि सिंह गोहल	उप जिलाध्यक्ष	
5.	श्री नीलेश कुमार शर्मा	उप जिलाध्यक्ष	
6.	श्री मनीष कुमार जैन	उप जिलाध्यक्ष	

क्र. 955/नोअविषय/विषय/2017. — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 5. लेखा एवं वित्त 6. म. प्र. स्थानीय शासन 7. प्रकरण अध्ययन – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री पवन बारिया	उप जिलाध्यक्ष
2.	श्री अरविंद सिंह माहोर	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. लेखा एवं वित्त 8. प्रकरण अध्ययन - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री दीपशिखा भगत	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. लेखा एवं वित्त - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री मोहनी शर्मा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9' दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के - 1. लेखा एवं वित्त - में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री अनुराग तिवारी	उप जिलाध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप कुमार सोनी	उप जिलाध्यक्ष
3.	सुश्री प्रीति संघवी	उप जिलाध्यक्ष
4.	श्री बृजबिहारी श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
5.	सुश्री सोनम जैन	उप जिलाध्यक्ष
6.	सुश्री नेहा साहू	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955 /नोअविप/विपप्र/2017. — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. सिविल विधि तथा प्रक्रिया – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री रजनी वर्मा	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955 /नोअविप/विपप्र/2017. — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दार्ढिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दार्ढिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. म. प्र. स्थानीय शासन 8. प्रकरण अध्ययन – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	श्री अखिल राठौर	उप जिलाध्यक्ष

क्र. 955/नोअविप/विपप्र/2017. — सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1/2015/1/9 दिनांक 27/3/15 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 01 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 से 22 दिसंबर, 2017 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के – 1. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया 3. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 4. दार्ढिक विधि एवं प्रक्रिया 5. दार्ढिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 6. सिविल विधि तथा प्रक्रिया 7. लेखा एवं वित्त 8. म. प्र. स्थानीय शासन 9. प्रकरण अध्ययन – में सम्मिलित निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री अंकिता प्रजापति	उप जिलाध्यक्ष
2.	श्री आदित्य कुमार जैन	उप जिलाध्यक्ष
3.	सुश्री मनीषा वास्कले	उप जिलाध्यक्ष
4.	श्री राकेश परमार	उप जिलाध्यक्ष
5.	श्री लोकेन्द्र सिंह सरल	उप जिलाध्यक्ष
6.	सुश्री शिवानी रायकवार	उप जिलाध्यक्ष
7.	सुश्री श्रीलेखा ओंत्रिय	उप जिलाध्यक्ष
8.	सुश्री श्रुति अग्रवाल	उप जिलाध्यक्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार यादव, नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 93-सा-2-2018.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की घोषाल अधिसूचना क्रमांक एफ-322/1999/1/4, घोषाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, वर्ष 2018 हेतु देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्पुष्ख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

अ.क्र.	त्यौहार/स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	वार	अवकाश का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्मदा जयंती	24-1-2018	बुधवार	सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र खातेगांव
2	रंगपंचमी	6-3-2018	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
3	गणेश चतुर्थी	13-9-2018	गुरुवार	अनुभाग क्षेत्र देवास, सोनकच्छ
4	डोलगयारस	20-9-2018	गुरुवार	अनुभाग क्षेत्र बागली, कन्नौद
5	दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा (पड़वा)	8-11-2018	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला

उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

आशीष सिंह, कलेक्टर,

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-120

इन्दौर, दिनांक 2 फरवरी 2018

राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 नवम्बर 2017 को प्रश्न पत्र — विधि एवं प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
उच्चस्तर				
1	श्री सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इटारसी वृत्त	
2	कु. श्वेता साठे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	नीमच वृत्त	
3	श्री राजेश कुमार धाकड	वाणिज्यिक कर अधिकारी	अशोकनगर वृत्त	
4	सुश्री पल्लवी मालपानी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल संभाग	सश्रेय
5	श्री आलोक कुमार जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-1	सश्रेय
6	श्री कुश बोहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-2	
7	सुश्री स्वाति जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-5	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	सिमार्क
---------	-----	-------	-----------	---------

8	सुश्री वंदना सिन्हा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-15	
9	श्री राजीव गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	सश्रेय
10	श्री शिवनंदन तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-6	
11	श्रीमती भावना शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रीवा वृत्त	
12	मनोरमा तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-1	
13	आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त-3	सश्रेय
14	अवनीश उपाध्याय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दतिया वृत्त	
15	डा. अपूर्णा साहू	सहायक वा. क. अ.	परिक्षेत्र इंदौर-2	
16	सुश्री श्वेता ऐजरा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रतलाम संभाग	
17	श्रीमती उर्वशी गोतम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	छिंदवाडा वृत्त-2	
18	श्री प्रशांत नागदेवे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इन्दौर वृत्त-14	
19	योगेश जाटवा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इन्दौर वृत्त-1	
20	श्री चन्द्र कुवर सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इन्दौर वृत्त-12	
21	श्री अजय कुमार ओझा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	ग्वालियर वृत्त-2	
22	कु मीरा मरावी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	वृत्ति कर जबलपुर	
23	श्री नमन जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल	
24	श्री आदर्श पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्ति कर जबलपुर	

निम्नस्तर

25	श्री आदित्यराज चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-14	
26	श्री मोहम्मद युसुफ खान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-3	
27	डा. राजेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	
28	कु. सोनम रावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-09	
29	श्री विवेक कुमार दुबे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-12	
30	श्री रीतेश टाडिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बीना वृत्त	
31	सुश्री दीपका परमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	मुख्यालय	
32	श्रीमती सोनिया जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	आडिट विंग भोपाल	
33	श्री एकांत राहंगडाले	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त:5	
34	कु एकता सोनी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-10	
35	रक्षा मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-7	
36	मीनाक्षी पाण्डेय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-2	
37	श्री शिव प्रताप सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	टीकमगढ़ वृत्त	
38	श्रीमती सिम्मी जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त-2	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	स्थार्क
39	श्री कमल सिंह गुर्जर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	गुना वृत्त	
40	श्री मोहब्बत सिंह बघेल	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	खरगोन वृत्त	
41	कु शिखा यादव	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल	
42	श्री अर्जुन सिंह सोलंकी	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	ग्वालियर वृत्त-2	
43	श्री विवेक कुमार गोर	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	अनुपपूर	
44	श्री मनीष कुमार जैन	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	ऑडिट विंग भोपाल	
45	श्री देवर लाल पटले	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	बालाघाट	
46	श्री अमित कुमार शर्मा	सहायक वा. क. अ.	ग्वालियर वृत्त-2	
47	सुश्री दीपिका द्विवेदी	सहायक वा. क. अ.	शहडोल वृत्त	
48	श्री श्वेता भद्रौरिया	सहायक वा. क. अ.	आडिट विंग इंदौर	
49	श्री चन्द्रशेखर व्यास	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-4	
50	श्रीमती किरण यादव	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-07	
51	श्री पियुष तिवारी	सहायक वा. क. अ.	रीवा वृत्त	
52	सुश्री ज्वेलिका व्यास	सहायक वा. क. अ.	मुख्यालय	
53	श्री मानसिंह लोधी	सहायक वा. क. अ.	भोपाल वृत्त-6	
54	श्री सचिन भीलवारे	सहायक वा. क. अ.	एन्टी इवेजन ब्यूरो-बी	
55	श्री प्रशान्त थूल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सिवनी वृत्त	
56	श्री पवन शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त-2	
57	श्री रविप्रकाश तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
58	पार्वती सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
59	श्री दीपक सिंह सतरैया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	दमोह वृत्त	
60	श्री अनिल कुमार कौशल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	टीकमगढ़ वृत्त	
61	श्री अरविन्द कुमार प्रजापति	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	नौगांव वृत्त	
62	श्रीराम अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बीना वृत्त	
63	श्री नोराल्ड लियोनार्ड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर वृत्त-2	
64	श्री अमित सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्तिकर जबलपुर	
65	श्री प्रियंक श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	भोपाल वृत्त-4	
66	श्री पवन शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त -2	
67	श्रीमती रजनी यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	हरदा	
68	श्री अमरपाल सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
69	संगीता मरावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
70	श्री सुरेश कुमार आर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
71	श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	
72	श्री अगनीश गोयल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	
73	कु सुप्रिया पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सागर वृत्त	
74	श्री अरविंद भदकारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	दतिया वृत्त	
75	श्री पवन कुमार भदकारिया	कराधान सहायक	ग्वालियर वृत्त -3	

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-121

राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को प्रश्न पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
उच्च स्तर				
1	श्री सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इटारसी वृत्त	
2	सुश्री श्वेता ऐजरा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रतलाम संभाग	
3	कु. श्वेता साठे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	नीमच वृत्त	
4	श्रीमती उर्वशी गौतम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	छिदवाडा वृत्त-2	
5	श्री आदित्यराज चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-14	
6	श्री प्रशांत नागदेवे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-14	
7	श्री राजेश कुमार धाकड़	वाणिज्यिक कर अधिकारी	अशोकनगर वृत्त	
8	सुश्री पल्लवी मालपानी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल संभाग	
9	सुश्री सुमन लता मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर संभाग-2	
10	श्री आलोक कुमार जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-1	
11	श्री योगेश जाटवा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-1	
12	श्री कुश बोहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-2	
13	सुश्री स्वाति जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-5	
14	सुश्री वंदना सिन्हा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-15	
15	श्री मोहम्मद युसुफ खान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-3	सश्रेय
16	श्री राजीव गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	
17	डा. राजेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	
18	श्री शिवनंदन तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-6	
19	श्री शेलेन्द्र सिंह बुदेला	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-10	
20	कु. सोनम रावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-09	
21	श्री विवेक कुमार दुबे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-12	
22	श्रीमती भावना शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रीवा वृत्त	
23	श्री अभिनव त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बैठन वृत्त	
24	श्री रीतेश टाडिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बीना वृत्त	
25	सुश्री दीपका परमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	मुख्यालय	
26	श्रीमती सोनिया जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	आडिट विग भोपाल	

क्रमांक 1)	नाम 2)	पदनाम 3)	पदस्थापना 4)	रिमार्क 5)
उच्च स्तर				
27	श्री बलराम धाकड़	वाणिज्यिक कर अधिकारी	आडिट विग भोपाल	
28	श्री कमलसिंह गुर्जर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	गुना वृत्त	
29	श्री एकात राहगडाले	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त:5	सश्रेय
30	श्रीमती मनोरमा तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-1	
31	एकता सोनी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-10	
32	रक्षा मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-7	
33	मीनाक्षी पाण्डेय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-2	
34	सुमन बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर	
35	आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त-3	सश्रेय
36	चन्द्रकुवर सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-12	
37	श्री बजेन्द्र सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वृत्तिकर भोपाल	
38	श्री अवनीश उपाध्याय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दतिया वृत्त	
39	श्री दुर्गेश पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर वृत्त-4	
40	श्री अजय कुमार ओझा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	ग्वालियर वृत्त-2	
41	श्री राहुल मण्डलोई	सहायक वा. क. अ.	बुरहानपुर वृत्त	
42	श्री मोहब्बतसिंह बघेल	सहायक वा. क. अ.	खरगोन वृत्त	
43	श्री जानकीलाल चरपोटा	सहायक वा. क. अ.	नीमच वृत्त	
44	श्रीमती कविता पन्द्रे	सहायक वा. क. अ.	सिवनी वृत्त	
45	कु शिखा यादव	सहायक वा. क. अ.	भोपाल	
46	श्री अमित कुमार शर्मा	सहायक वा. क. अ.	ग्वालियर वृत्त-2	
47	श्री अजुनसिंह सोलकी	सहायक वा. क. अ.	ग्वालियर वृत्त-2	
48	सुश्री दीपिका द्विवेदी	सहायक वा. क. अ.	हडोल वृत्त	
49	श्री विवेक कुमार गौर	सहायक वा. क. अ.	अनुपपुर	
50	श्री श्वेता भद्रौरिया	सहायक वा. क. अ.	आडिट विग इंदौर	
51	श्रीमती किरण यादव	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-07	
52	श्री पियुष तिवारी	सहायक वा. क. अ.	रीवा वृत्त	
53	डा. अपूर्णा साहू	सहायक वा. क. अ.	परिक्षेत्र इंदौर-2	
54	सुश्री ज्येलिका व्यास	सहायक वा. क. अ.	मुख्यालय	
55	श्री मनीष कुमार जैन	सहायक वा. क. अ.	आडिट विग भोपाल	
56	कु. मीरा मरावी	सहायक वा. क. अ.	वृत्तिकर जबलपुर	
57	श्री मानसिंह लोधी	सहायक वा. क. अ.	भोपाल वृत्त-6	
58	सचिन भीलवारे	सहायक वा. क. अ.	एन्टी इवेजन ब्यूरो-बी	सश्रेय
59	रूपेश कुमार जैन	सहायक वा. क. अ.	भोपाल वृत्त-5	
60	श्रीमती रजनी यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	हरदा वृत्त	सश्रेय
61	सुश्री मीनाक्षी श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	होशंगाबाद वृत्त	
62	संश्री प्रीति साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	होशंगाबाद वृत्त	
63	श्री संजय सोमकुवर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	सश्रेय
64	श्री सोमदत्त दीक्षित	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	
65	श्री नमन जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	स्थान
1	2	3	4	5
उच्च स्तर				
66	श्री राहुल खरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ईबी भोपाल	संश्रेय
67	श्री संजय कुमार डावर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बुरहानपुर वृत्त	
68	श्री राजू कनौजे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	खरगोन वृत्त	
69	श्री विजय मावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जावरा वृत्त	
70	श्री सुमित बारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मंदसौर वृत्त	
71	श्री विजय कुमार गौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	धार वृत्त	
72	श्री राहुल सिलाडिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	धार वृत्त	
73	श्रीमती कुसुम मेडा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	झाबुआ वृत्त	
74	भागवन्ती मर्सकोले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	छिदवाडा वृत्त-2	
75	श्री पूरन सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सिवनी वृत्त	
76	श्री प्रशान्त थूल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सिवनी वृत्त	
77	श्री अमरपाल सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
78	सुश्री संगीता मरावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
79	श्री रविप्रकाश तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
80	श्री गोपाल सिंह बरकर्ड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	शहडोल वृत्त	
81	पार्वती सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
82	डा. मनीष कुमार कलवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	पीथमपुर वृत्त	
83	श्री राहुल भारती	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	इंदौर वृत्त-09	
84	श्री कैलास चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-2	
85	श्री दयाराम वसुनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-2	
86	श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़	
87	श्री अजय मालवीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	संश्रेय
88	श्री अग्नीश गोयल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	संश्रेय
89	कुमुदिता पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सागर वृत्त	
90	श्री दीपक सिंह सतरेया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	दमोह वृत्त	
91	श्री अनिल कुमार कौशल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	टीकमगढ़ वृत्त	
92	श्री विकम जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	टीकमगढ़ वृत्त	
93	श्री अरविन्द कुमार प्रजापति	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	नौगांव वृत्त	
94	श्रीराम अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बीना वृत्त	
95	श्री नोराल्ड लियोनार्ड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर वृत्त-2	
96	श्री अमित सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्तिकर जबलपुर	
97	श्री आर्दश पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्तिकर जबलपुर	
98	प्रियंक श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	भोपाल वृत्त-4	
99	पवन भगवान लाल शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त-2	
100	बृजेन्द्र सिंह भाटी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मंदसौर वृत्त	
101	श्री रोहित जरीवाला	कराधान सहायक	बैतूल वृत्त	
102	जितेन्द्र प्रताप सिंह	कराधान सहायक	शिवपुरी वृत्त	
103	श्री पवन कुमार भदकारिया	कराधान सहायक	ग्वालियर वृत्त-3	
104	विजय रघुवंशी	कराधान सहायक	भोपाल वृत्त-5	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
उच्च स्तर				
105	अनिल यादव	कराधान सहायक	भोपाल वृत्त-5	
106	अरविंद भदकारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	दतिया वृत्त	

निम्न स्तर				
107	श्री चन्द्रशेखर व्यास	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-4	
108	श्री संदीप कुमार डावर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	नीमच वृत्त	
109	श्री पवन सुरेश शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त-2	
110	श्री सुरेश कुमार आर्मे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
111	श्री राकेश कुमरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-1	
112	श्री हेमन्त सिंह राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-1	
113	शिव प्रताप सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	टीकमगढ़ वृत्त	
114	ज्योति रानी ब्रह्मे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर आडिट विंग	

क्र. 48-2015-4-ई-बारह-122

राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को प्रश्न पत्र – कार्यालयीन संगठन एवं प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
उच्चस्तर				
1	श्री सूर्यप्रताप सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इटारसी वृत्त	
2	कु. श्वेता साठे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	नीमच वृत्त	
3	श्रीमती उर्वशी गौतम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	छिदवाडा वृत्त-2	
4	श्री प्रशांत नागदेवे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-14	
5	सुश्री पल्लवी मालपानी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल संभाग	
6	श्री कुश बोहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-2	
7	श्री मोहम्मद युसुफ खान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-3	
8	श्री राजीव गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	
9	डा. राजेश राठौर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-4	
10	श्री शिवनंदन तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-6	
11	श्री शोलेन्द्र सिंह बुंदेला	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-10	
12	कु. सोनम रावत	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-09	
13	श्री विवेक कुमार दुबे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-12	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
14	श्रीमती भावना शर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	श्रीवा वृत्त	
15	श्री अभिनव त्रिपाठी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बैठन वृत्त	
16	श्री रीतेश टाडिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	बीना वृत्त	
17	सुश्री दीपका परमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	मुख्यालय	
18	श्रीमती सोनिया जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	आडिट विंग भोपाल	
19	श्री बलराम धाकड़	वाणिज्यिक कर अधिकारी	आडिट विंग भोपाल	
20	श्री कमलसिंह गुर्जर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	गुना वृत्त	संश्रेय
21	श्री एकात राहंगडाले	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त:5	
22	मनोरमा तिवारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-1	
23	एकता सोनी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-10	
24	रक्षा मरावी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-7	
25	मीनाक्षी पाण्डेय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सतना वृत्त-2	
26	कुमुन बघेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर	
27	आकांक्षा सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	भोपाल वृत्त-3	संश्रेय
28	चन्द्रकुवंर सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-12	
29	श्री शिव प्रताम सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	टिकमगढ़	
30	बजेन्द्र सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	वृत्तिकर भोपाल	
31	अवनीश उपाध्याय	वाणिज्यिक कर अधिकारी	दतिया वृत्त	
32	ज्योति रानी ब्रह्मे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर आडिट विंग	
33	श्री राहुल मण्डलोई	सहायक वा. क. अ.	बुरहानपुर वृत्त	
34	कुमिला यादव	सहायक वा. क. अ.	भोपाल	
35	सुश्री दीपिका द्विवेदी	सहायक वा. क. अ.	हडोल वृत्त	
36	श्रीमती किरण यादव	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-07	
37	डा. अपूर्णा साहू	सहायक वा. क. अ.	परिक्षेत्र इंदौर-2	संश्रेय
38	श्री मनीष कुमार जैन	सहायक वा. क. अ.	आडिट विंग भोपाल	
39	कुमारा मरावी	सहायक वा. क. अ.	वृत्तिकर जबलपुर	
40	श्रीमती रजनी यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	हरदा वृत्त	
41	सुश्री प्रीति साहू	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	होशंगाबाद वृत्त	
42	श्री संजय सोमकुवर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	
43	श्री नमन जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	
44	श्री संजय कुमार डावर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बुरहानपुर वृत्त	
45	श्री विजय कुमार गौरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	धार वृत्त	
46	श्री राहुल सिलाडिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	धार वृत्त	
47	भागवन्ती मर्सकोले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	छिदवाडा वृत्त-2	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	रिमार्क
48	श्री प्रशान्त थूल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सिवनी वृत्त	
49	श्री पवन शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त-2	
50	पार्वती सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
51	कु. सुप्रिया पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सागर वृत्त	
52	बृजेन्द्र सिंह भाटी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मंदसौर वृत्त	
निम्नस्तर				
53	सुश्री श्वेता ऐजरा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	रत्नान संभाग	
54	श्री आदित्यराज चौहान	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-14	
55	श्री राजेश कुमार धाकड़	वाणिज्यिक कर अधिकारी	अशोकनगर वृत्त	
56	श्री आलोक कुमार जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-1	
57	सुश्री स्वाति जैन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-5	
58	सुश्री वंदना सिन्हा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-15	
59	दुर्गेश पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	जबलपुर वृत्त-4	
60	अजय कुमार ओझा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	ग्वालियर वृत्त-2	
61	योगेश जाटवा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	इंदौर वृत्त-1	
62	श्री मोहब्बतसिंह बघेल	सहायक वा. क. अ.	खरगोन वृत्त	
63	श्रीमती कविता पन्द्रे	सहायक वा. क. अ.	सिवनी वृत्त	
64	श्री अमित कुमार शर्मा	सहायक वा. क. अ.	ग्वालियर वृत्त-2	
65	श्री अर्जुनसिंह सोलंकी	सहायक वा. क. अ.	ग्वालियर वृत्त-2	
66	श्री विवेक कुमार गौर	सहायक वा. क. अ.	अनुपपुर	
67	श्री श्वेता भदौरिया	सहायक वा. क. अ.	आडिट विंग इंदौर	
68	श्री चन्द्रशेखर व्यास	सहायक वा. क. अ.	इंदौर वृत्त-4	
69	श्री पियुष तिवारी	सहायक वा. क. अ.	रीवा वृत्त	
70	सुश्री ज्वेलिका व्यास	सहायक वा. क. अ.	मुख्यालय	
71	मानसिंह लोधी	सहायक वा. क. अ.	भोपाल वृत्त-6	
72	सचिन भीलवारे	सहायक वा. क. अ.	एन्टी इवेजन ब्यूरो-बी	
73	सुश्री मीनाक्षी श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	होशंगाबाद वृत्त	
74	श्री सोमदत्त दीक्षित	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बैतूल वृत्त	
75	श्री राहुल खरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ईबी भोपाल	
76	श्री राजू कनौजे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	खरगोन वृत्त	
77	श्री विजय मावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जावरा वृत्त	
78	श्री सुमित बारिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मंदसौर वृत्त	
79	श्री संदीप कुमार डावर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	नीमच वृत्त	
80	श्रीमती कुसुम मेडा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	झाबुआ वृत्त	

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापना	स्थार्क
81	श्री पूरन सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सिवनी वृत्त	
82	श्री अमरपाल सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
83	सुश्री संगीता मरावी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
84	श्री रविप्रकाश तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	कटनी वृत्त-1	
85	श्री गोपाल सिंह बरकर्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	शहडोल वृत्त	
86	श्री सुरेश कुमार आर्मो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मण्डला वृत्त	
87	डॉ मनीष कुमार कलवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	पीथमपुर वृत्त	
88	श्री राहुल भारती	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	इंदौर वृत्त-09	
89	श्री राकेश कुमरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-1	
90	श्री हेमन्द्र सिंह राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-1	
91	श्री कैलाश चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-2	
92	श्री दयाराम वसुनिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उज्जैन वृत्त-2	
93	श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़	
94	श्री अजय मालवीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	
95	श्री अग्नीश गोयल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राजगढ़ वृत्त	
96	श्री दीपक सिंह सतरैया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	दमोह वृत्त	
97	श्री अनिल कुमार कौशल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	टीकमगढ़ वृत्त	
98	श्री विकम जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	टीकमगढ़ वृत्त	
99	श्री अरविन्द कुमार प्रजापति	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	नौगांव वृत्त	
100	श्रीशम अहिरवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	बीना: वृत्त	
101	श्री नोराल्ड लियोनार्ड	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर वृत्त-2	
102	श्री अमित सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्तिकर जबलपुर	
103	श्री आर्दश पाठक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वृत्तिकर जबलपुर	
104	प्रियंक श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	भोपाल वृत्त-4	
105	श्री पवन शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	ग्वालियर वृत्त -2	
106	श्री रोहित जरीवाला	कराधान सहायक	बैतुल वृत्त	
107	श्री पवन कुमार भद्रकारिया	कराधान सहायक	ग्वालियर वृत्त-3	

राधवेन्द्र सिंह, आयुक्त.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 703-वि.यो. 496-नग्रानि-2018

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2018

ग्वालियर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्वालियर विकास योजना 2021	—	5	कंडिका 5.14.1(च) :- डी.आर.डी.ओ. सिटी सेंटर, तानसेन मार्ग की सीमा से 200 मीटर तक केवल 6 मी. की ऊचाई तक का निर्माण अनुमत होगा।	—	कंडिका 5.14.1(च) :- डी.आर.डी.ई. सिटी सेंटर, तानसेन रोड की सीमा से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण DRDE की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
				कंडिका 5.14.1(छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100 मीटर तक केवल 6 मी. की ऊचाई का निर्माण अनुमत होगा।	—	कंडिका 5.14.1(छ) :- थल सेना एवं वायुसेना की सीमा से 100/900 मीटर तक कोई भी निर्माण थल सेना एवं वायुसेना की अनापत्ति के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
				सारणी 5-सा-1 की टीप :- विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं। इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक में 6 मीटर	—	सारणी 5-सा-1 की टीप :- विकास योजना मानचित्र में दर्शाये गए क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एयरफोर्स से 4 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत भी आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोग प्रदर्शित किए गए हैं। इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक में 6 मीटर

				सार्वजनिक एवं औद्योगिक भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में किए जाने वाले आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास की अधिकतम उच्चाई 6 मीटर, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा औद्योगिक हेतु किए जाने वाले विकास की अधिकतम उच्चाई 7.2 मीटर होगी।		वाणिज्यिक में 6 मीटर से अधिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं औद्योगिक उपयोग में 7.2 मी. से अधिक उच्चाई एयरफोर्स/रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के बिना अनुच्छेद नहीं होगी।
2	रवालियर विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	5	5—सा—14	पी—1 कॉलम 4 सरल क. 15 सरल क. 86 सरल क. 123	हेल्थ सेंटर NP के स्थान पर P मान्य होगा। Local Self, Semi Govt./Govt. Office (गतिविधि) NP के स्थान पर P मान्य होगा। गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
		कृषि	5	5—सा—14	कॉलम 13 सरल क. 123 सरल क. 124	गैर प्रदूषणकारी उद्योग *
		आवासीय	2	5—सा—14	सरल क. 125	कृषि पर्यटन सुविधा** मल्टीप्लेक्स

व्याख्या—

- i. *गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
- ii. ** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।
टीप:- सूचना प्रोद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वाति भीणा नायक, संचालक.